संख्या- 28 /2023/758 सत्रह-म-17-1099/63/2022

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे
अपर मुख्य सचिव
मत्स्य विभाग
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक
मत्स्य विभाग
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 25 सितम्बर, 2023

विषय: मत्स्य विभाग/ उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम/ उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 के अधीन आने वाले विभिन्न श्रेणियों के जलाशयों की प्रबन्ध व्यवस्था हेतु निर्धारित नीति में संशोधन विषयक।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-104/सा0शा0/ज-1(16)||| दिनांक 23.02.2023 एवं पत्र संख्या-126/सा0शा0/ज-1(16)/|||- दिनांक 14 जून,2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मत्स्य विभाग/ उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम/ उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ के अधीन आने वाले श्रेणी-1,2,3,4 व श्रेणी-5 के जलाशयों की प्रबन्ध व्यवस्था हेतु पूर्व में निर्गत सुसंगत शासनादेशों /निर्धारित नीति में संशोधन किये जाने का संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान परिवेश में जलाशयों में मत्स्य उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करने एवं पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से जलाशयों का निस्तारण किये जाने के उददेश्य के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल शासनादेश संख्या-765/57-मत्स्य-2000-5(69)/81, दिनांक 08 मार्च, 2000 शासनादेश संख्या-1573/57-म-2000-5(69)/81 दिनांक 20 अप्रैल 2001, शासनादेश सं0-2845/57-म-2002-5(69)/81 दिनांक 09 अगस्त, 2002, शासनादेश संख्या-3856/सत्रह-म-2003-5(69) /81 दिनांक 18 दिसम्बर, 2003 एवं शासनादेश संख्या-24/2018/1263/सत्रह-म-2018-5(69)/81 दिनांक 27 अगस्त, 2018 में युक्तिसंगत संशोधन करते हुए विभिन्न श्रेणियों के जलाशयों की प्रबन्ध व्यवस्था निम्नवत निर्धारित किये जाने पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

1 (1) जलाशयों को क्षेत्रफल के आधार पर निम्नवत श्रेणीबद्ध किया जाता है:-

क्र० सं०	जलाशय का प्रकार	श्रेणी	जलाशय का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	वृहद् जलाशय	श्रेणी-1	5000 से बड़े
2	मध्याकार जलाशय	श्रेणी-2	1000 से बड़े 5000 तक

3	लघु जलाशय (वर्ग क)	श्रेणी-3	200 से बड़े 1000 तक
4	लघु जलाशय (वर्ग ख)	श्रेणी-4	40 से बड़े 200 तक
5	लघु जलाशय (वर्ग ग)	श्रेणी-5	40 तक

1 (2) विभिन्न योजनाओं में निर्मित मत्स्य आस्थान विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित श्रेणी-3 एवं 4 के जलाशयों की भाँति निस्तारण नीति के अन्तर्गत निस्तारित किये जायेगें।

1 (3) समस्त श्रेणी के जलाशयों की ई-निविदा/ निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों/ समिति को न्यूनतम आरक्षित मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर सक्षम स्तर से निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

1 (4) समितियों/ठेकेदारों द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने हेतु पात्रता सम्बंधी निम्न प्रावधान मात्र श्रेणी-4 एवं श्रेणी-5 के जलाशयों के पर लागू होगें-

i. निविदा के प्रथम चक्र में सम्बन्धित जलाशय के भौगोलिक क्षेत्र के विकास खण्ड की सक्रिय मत्स्य जीवी सहकारी समितियां जो उ0प्र0 सहकारी समितियां अधिनियम 1965 के अन्तर्गत मत्स्य विभाग द्वारा पंजीकृत हो / संयुक्त देयता समूह (ज्वाइन्ट लाइबिलिटी ग्रुप)/ ग्राम्य विकास विभाग में सक्षम स्तर से मत्स्य पालन से सम्बन्धित पंजीकृत स्वयं सहायता समूह जिनकी द्वितीय ग्रेडिंग हो चुकी हो/कम्पनी/फार्मर्स प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन (FPO) ही भाग ले सकेंगे।

ii. न्यूनतम आरक्षित मूल्य प्राप्त न होने एवं 03 से कम वैध निविदा प्राप्त होने की स्थिति में निविदा के द्वितीय चक्र में सम्बन्धित उपरोक्त क्रमाक-1(4)i के साथ-साथ उ0प्र0 सहकारी समितियां अधिनियम 1965 के अन्तर्गत जनपद की मत्स्य विभाग द्वारा पंजीकृत सक्रिय मत्स्य जीवी सहकारी समितियां भी भाग ले सकेंगी।

iii. जलाशय का न्यूनतम आरक्षित मूल्य प्राप्त न होने की दशा में तृतीय चक्र में क्रमांक-1(4)i एवं 1(4)ii के साथ-साथ उ0प्र0 सहकारी समितियां अधिनियम 1965 के अन्तर्गत प्रदेश की मत्स्य विभाग द्वारा पंजीकृत सक्रिय मत्स्य जीवी सहकारी समितियां भी भाग ले सकेगी।

iv. जलाशय का न्यूनतम आरक्षित मूल्य प्राप्त न होने की दशा में चतुर्थ चक्र में क्रमांक-1(4)i, 1(4)ii एवं 1(4)iii के साथ-साथ व्यक्तिगत ठेकेदारों को भी सम्मिलित किया जायेगा।

2(1)i. जलाशयों का न्यूनतम मूल्य निर्धारण निम्नानुसार गठित समिति द्वारा जलाशयों के क्षेत्रफल, जलक्षेत्र, जलस्रोत एवं मत्स्य उत्पादन/ उत्पादकता के आंकलन के आधार पर किया जायेगा:-

(क) मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य -अध्यक्ष

(ख) निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 /
प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० मत्स्य विकास निगम लि०/
प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 द्वारा नामित
प्रतिनिधि के रूप में अन्य मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य - सदस्य

(ग) मत्स्य विभाग/उ0प्र0 मत्स्य निगम लि0/
उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ के वित्त अधिकारी -सदस्य

(घ) जनपदीय मत्स्य अधिकारी /
अधिशासी प्रबन्धक, उ०प्र० मत्स्य विकास निगम लि०/
प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 द्वारा
नामित अधिकारी/कार्मिक -सदस्य

उक्त समिति जलाशयों के न्यूनतम मूल्य निर्धारण हेतु आंकलन रिपोर्ट माह-अप्रैल में निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश /प्रबन्ध निदेशक,उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लि०/ प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी। मूल्यांकन अनुमोदन तिथि से एक वर्ष हेतु वैध होगा

ii. समस्त श्रेणी के जलाशयों के लिए मत्स्याखेट ठेके की अवधि दस वर्ष होगी, प्रथम चरण में पांच वर्ष हेतु ठेके का अनुबन्ध कराया जायेगा। किन्तु पांचवें एवं आठवें वर्ष के उपरान्त ठेका संचालन की मध्यावधि समीक्षा सम्बन्धित जलाशयों के नियंत्रणाधीन सक्षम स्तर स्वीकर्ता अधिकारी निदेशक मत्स्य/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0/ निबन्धक,उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 द्वारा की जायेगी।

iii. ठेकेदार दवारा पहले पांच वर्ष सफलतापूर्वक ठेका चलाये जाने के उपरान्त ठेकेदार के क्रियाकलापों (किश्तों की धनराशि समय से जमा करने एवं प्रतिबन्धित अवधि में मत्स्याखेट गतिविधियों को रोकने तथा समुचित मात्रा में मत्स्य अंगुलिका संचय करने की स्थिति एवं समय-समय पर मत्स्य विभाग/उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0/उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन की स्थिति) के आधार पर पाँचवे वर्ष की 01 जून से 30 जून के मध्य, मध्यावधि समीक्षा जलाशयों के न्यूनतम मूल्य निर्धारण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर सम्बन्धित जलाशयों के नियंत्रणाधीन सक्षम स्तर स्वीकर्ता अधिकारी निदेशक मत्स्य/प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0/निबन्धक,उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 द्वारा की जायेगी। मध्यावधि समीक्षा के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर एवं ठेकेदार द्वारा ठेका आगे चलाये जाने की सहमति की दशा में ठेका अनुबन्ध आगामी तीन वर्ष हेतु जलाशय के सक्षम ठेका स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा विस्तारित किया जायेगा।

iv. ठेकेदार द्वारा पहले आठ वर्ष सफलतापूर्वक ठेका चलाये जाने के उपरान्त,ठेकेदार के क्रियाकलापों (किश्त समय से जमा करने एवं प्रतिबन्धित अवधि में मत्स्याखेट गतिविधियों को रोकने तथा समुचित मात्रा में मत्स्य अंगुलिका संचय करने की स्थिति एवं समय-समय पर मत्स्य विभाग/ उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0/उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन की स्थिति) के आधार पर पुनः मध्यावधि समीक्षा आठवें वर्ष की 01 जून से 30 जून के मध्य की जायेगी। उपयुक्तपाये जाने की दशा में ठेका अनुबन्ध पुनः आगामी दो वर्ष हेतु जलाशय के ठेका स्वीकृति हेतु सक्षम स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा विस्तारित किया जायेगा।

v. ठेके के प्रथम वर्ष की अवधि ठेका स्वीकृत होने के दिनांक से प्रारम्भ होकर आगामी 30 जून तक मानी जायेगी। शेष वर्षो में ठेके की अवधि 01 जुलाई से 30 जून तक मानी जायेगी।

vi. श्रेणी- 1 से 4 तक के सभी जलाशयों तथा श्रेणी-5 के ऐसे जलाशयों जो बहते जलस्रोतों (नदियां/नहरों) से जुडे हुए है,उन जलाशयों में 01 जुलाई से 31 अगस्त तक मत्स्य आखेट प्रतिबन्धित रहेगा। श्रेणी-5 के ऐसे जलाशयों जो बहते जलस्रोतों से जुडे हुए नहीं है, उनमें मत्स्य आखेट प्रतिबन्धित नहीं रहेगा।

2(2) **i.** श्रेणी 1 एवं 2 के जलाशयों का निस्तारण मण्डलीय मुख्यालय पर संयुक्त विकास आयुक्त की अध्यक्षता में किन्तु उनकी अनुपस्थिति में सम्बंधित मण्डल के मण्डलायुक्त द्वारा नामित प्रतिनिधि (मत्स्य विभाग के अधिकारी को छोड़कर) की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित समिति द्वारा ई-निविदा के माध्यम से किया जायेगा। समिति का स्वरूप निम्नवत होगा-

(क) उप/संयुक्त विकास आयुक्त	-अध्यक्ष
(ख) क्षेत्रीय अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा नामित अधिकारी (सिंचाई विभाग के जलाशय के लिए न्यूनतम सहायक अभियन्तास्तर के अधिकारी)	- सदस्य
(ग) मत्स्य विभाग के जनपदीय अधिकारी /अधिशाषी प्रबन्धक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0	-सदस्य
(घ) निदेशक मत्स्य/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0/ प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 द्वारा नामित प्रतिनिधि	-सदस्य
(ड) क्षेत्रीय उप निदेशक मत्स्य/अधिशाषी प्रबन्धक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 अथवा उनके द्वारा नामित संघ के अधिकारी/कार्मिक	-सदस्य

श्रेणी 1 एवं 2 के जलाशयों के मत्स्याखेट ठेका की स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी निदेशक मत्स्य/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0/निबन्धक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 होंगे।

श्रेणी 3 एवं श्रेणी 4 के जलाशयों का निस्तारण निम्नानुसार गठित समिति द्वारा ई-निविदा /निविदा के माध्यम से किया जायेगा-

1. निदेशक मत्स्य अथवा उनके द्वारा नामित संयुक्त निदेशक मत्स्य/ प्रबन्ध निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य महाप्रबन्धक , उ0 प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0/निबन्धक अथवा उनके द्वारा नामित प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 (न्यूनतम उप निदेशक मत्स्य स्तर के अधिकारी)	- अध्यक्ष
(2) क्षेत्रीय अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा नामित अधिकारी (सिंचाई विभाग के जलाशय के लिए , न्यूनतम सहायक अभियन्ता स्तर के अधिकारी)	- सदस्य
(3) सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य	- सदस्य
(4) (क) उप निदेशक मत्स्य, नियोजन -	

(मत्स्य विभाग के प्रबन्धान्तर्गत आने वाले जलाशयों के लिए)
(ख) मुख्य महाप्रबन्धक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0
(उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 के प्रबन्धान्तर्गत आने वाले जलाशयों के लिए)
(ग) प्रबन्ध निदेशक,उ0 प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0
(उ0प्र0मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 के प्रबन्धान्तर्गत आने वाले जलाशयों के लिए) - सदस्य

(5) मत्स्य विभाग/उ0प्र0मत्स्य निगम लि0/
उ0प्र0मत्स्य जीवी सहकारी संघ के वित्त अधिकारी -सदस्य

श्रेणी 3 एवं 4 के जलाशयों के मत्स्याखेट ठेका की स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी निदेशक मत्स्य/ प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0/निबन्धक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 होंगे।

श्रेणी-5 के जलाशयों का निस्तारण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी (मत्स्य विभाग के अधिकारी को छोड़कर) की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित समिति द्वारा ई-निविदा / निविदा के माध्यम से किया जायेगा।

(1) जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी - अध्यक्ष
(2) जिला पंचायत राज अधिकारी - सदस्य
(3 मत्स्य विभाग के जनपदीय अधिकारी - सदस्य

श्रेणी 5 के जलाशयों के मत्स्याखेट ठेका की स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य होंगे।

ii. श्रेणी-1, श्रेणी-2, श्रेणी-3, श्रेणी-4 तथा श्रेणी-5 के जलाशयों का निस्तारण "जहाँ है जैसे है" के आधार पर स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार के उपरान्त ई-निविदा/ निविदा प्राप्त कर किया जायेगा। किन्ही भी परिस्थितियों में यथा प्राकृतिक आपदा, अवर्षण, महामारी अथवा नहरों से सिंचाई के फलस्वरूप जलाशय का जलस्तर कम होने की स्थिति में ठेकेदार द्वारा ठेके के सम्बंध में किसी भी प्रकार के दावे की प्रतिपूर्ति मान्य नहीं होगी।

iii. ई-निविदा के माध्यम से मत्स्याखेट ठेका निस्तारण में आवश्यकता पड़ने पर सुसंगत शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्थानुसार राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता संस्थाओं की सेवाएं ली जा सकेंगी। सेवा प्रदाता द्वारा निस्तारण हेतु दी गयी शर्तों का अनुमोदन सम्बंधित विभागाध्यक्ष के स्तर से किया जायेगा। किसी प्रकार की विशेष शर्त का अनुमोदन शासन से प्राप्त किया जायेगा।

iv. ई-निविदा प्रकिया में होने वाले प्रशासनिक व्यय (यदि कोई हो) का वहन सर्वोच्च ई-निविदा दाता से प्राप्त धनराशि से समायोजित किया जायेगा।

v. निविदा समिति उच्चतम मूल्य पर निर्णय लेते हुए अपनी संस्तुति मत्स्याखेट ठेका स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी को प्रेषित करेगी जिसके आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा मत्स्याखेट ठेका स्वीकृति पर निर्णय लेते हुए स्वीकृति प्रदान की जायेगी। मत्स्य आखेट ठेका स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी ही मत्स्य आखेट ठेका निरस्त करने हेतु अधिकृत होंगे

VI. ई-निविदा प्रक्रिया में मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को किसी प्रकार की छूट नहीं होगी।

3(1) मत्स्य अंगुलिका संचय की निम्न व्यवस्था निर्धारित की जा रही है:-

3(1) **i**.. सम्बंधित जलाशयों में ठेकेदार/समिति से मत्स्य अंगुलिका संचय करवाने का उत्तरदायित्व मत्स्य विभाग/उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0/उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 का होगा। जलाशयों में मत्स्य अंगुलिका संचय हेतु निगम की हैचरी अथवा विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों से मत्स्य अंगुलिका प्राप्त कर जलाशयों में संचय किया जायेगा। निगम/मत्स्य प्रक्षेत्र द्वारा अंगुलिका उपलब्ध कराने में लिखित असमर्थता व्यक्त करने पर निजी क्षेत्र की हैचरियों से मत्स्य अंगुलिका प्राप्त कर संचय किया जा सकेगा।

ii. श्रेणी-1 और 2 के जलाशयों में मत्स्य अंगुलिका संचय सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य एवं निदेशक मत्स्य/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0/प्रबन्ध निदेशक , उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 द्वारा नामित अधिकारी के पर्यवेक्षण में कराया जायेगा। श्रेणी-3, 4 एवं 5 के जलाशयों में मत्स्य अंगुलिका संचय सम्बन्धित जनपद के मत्स्य विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी (सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी) के पर्यवेक्षण में कराया जायेगा।

iii. जलाशयों के प्रबन्धन यथा-उत्पादकता आंकलन एवं जलाशयवार मत्स्य अंगुलिका के आंकलन के सम्बंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निदेशक मत्स्य जारी करेंगे। प्रतिबन्धित मत्स्य प्रजातियों का मत्स्य बीज संचय कदापि नहीं किया जायेगा। मत्स्य गतिविधियों से सम्बन्धित नाव, जाल, पैकिंग शेड, केज आदि तथा जलाशयों में प्रजातिवार मत्स्य अंगुलिका संचय, प्रजातिवार मत्स्य उत्पादन एवं आय/व्यय का पूर्ण विवरण सम्बन्धित ठेकेदार /समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अभिलिखित किया जाना आवश्यक होगा, जिसे प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में मत्स्य विभाग/निगम/संघ के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

iv. ठेकेदार द्वारा श्रेणी- 1, 2, 3, 4 एवं 5 के जलाशयों में स्वयं के संसाधन से बन्धों की मरम्मत, जीर्णोद्धार/सुधार एवं नर्सरी का निर्माण सक्षम स्वीकर्ता अधिकारी की अनुमति से किया जा सकेगा।

v. शासनादेश निर्गत होने के पश्चात निस्तारित होने वाले जलाशयों के व्यक्तिगत ठेकेदार की मृत्यु की दशा में ठेके की शेष अवधि के लिए ठेकेदार द्वारा परिवार के अधिकृत नामिनी (नामित उत्तराधिकारी) को ठेका संचालन का अधिकार स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा प्रदान किया जा सकेगा।

(a) ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध पत्र भरते समय नामिनी का नामांकन फार्म अनुबन्ध के साथ संलग्न किया जायेगा एवं नामिनी से भी इस आशय का शपथ पत्र लिया जायेगा कि ठेकेदार की मृत्यु की दशा में नामिनी मत्स्य आखेट ठेके को अवशेष अवधि हेतु चलाने के लिए सहमत है। नामांकन पत्र के साथ ही नामिनी का आधार कार्ड एवं परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति भी संलग्न करना होगा।

(b) नामिनी न होने की दशा में परिवार के अन्य सदस्यों को किसी एक उत्तराधिकारी को ठेका संचालन का अधिकार देने के पक्ष में अनापत्ति हेतु नोटरी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा अथवा ठेकेदार की मृत्यु की दशा में वारिसान प्रमाण पत्र के आधार पर

वैध वारिस को अवशेष अवधि हेतु ठेका संचालन का अधिकार सक्षम स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा प्रदान किया जा सकेगा।

vi. ठेकेदार द्वारा मत्स्याखेट हेतु अनुभवी मछुआरों को मत्स्याखेट गतिविधियों में लगाया जायेगा तथा मत्स्य विभाग द्वारा संचालित मछुआ दुर्घटना बीमा अथवा न्यूनतम रू0 पांच लाख का निजी दुर्घटना बीमा तथा स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य रूप से कराया जायेगा।

vii. मत्स्य आखेट हेतु आवश्यक शिकारियों/ मजदूरों में से 50 प्रतिशत स्थानीय मछुआरों को लगाया जाना आवश्यक होगा। ठेकेदार द्वारा मत्स्य आखेट हेतु शिकारियों/मजदूरों की सूची भी प्रस्तुत करनी होगी।

viii. संकटग्रस्त एवं नाजुक दौर में पहुँच गई मत्स्य प्रजातियों के संरक्षण के लिए मत्स्य प्रग्रहणकर्ता को भारत सरकार/ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का पालन करना बाध्यकारी होगा।

3 (2) **i.** समिति/ठेकेदार को ठेके की प्रथम वर्ष की किश्त की धनराशि की 60 प्रतिशत धनराशि बतौर जमानत राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ0डी0आर0 (पांच वर्ष अवधि) के रूप में अनुबन्ध-पत्र भरते समय मत्स्य विभाग /उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 /उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 के पक्ष में सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य/प्रबन्ध निदेशक के पास जमा करनी होगी तथा पांचवे वर्ष मध्यावधि समीक्षा उपरान्त पुनः छठवें वर्ष की किश्त की धनराशि की 60 प्रतिशत धनराशि बतौर जमानत राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करनी होगी । आठवें वर्ष मध्यावधि समीक्षा उपरान्त पुनः नौवें वर्ष की किश्त की धनराशि की 60 प्रतिशत धनराशि बतौर जमानत राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ0डी0 आर0 के रूप में जमा करनी होगी ।

ii. ठेके का अनुबन्ध समाप्त होने के 06 माह के अन्दर ठेके के स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा जमानत अवमुक्त की जायेगी। यदि समिति/ठेकेदार पर कोई धनराशि बकाया निकलती है तो जमानत से कटौती कर ली जायेगी। साथ ही ठेके के अवशेष बकाया धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति ठेकेदार/ समिति से की जायेगी।

(a)पांचवे वर्ष एवं आठवें वर्ष उपरान्त किये जाने वाले ठेका की मध्यावधि समीक्षा में ठेका संचालन उपयुक्त नहीं पाये जाने पर ठेका निरस्त होने की स्थिति में जमानत धनराशि अवमुक्त की जायेगी ।

(b) मत्स्य आखेट ठेका स्वीकृति के उपरान्त दो वर्ष के पूर्व स्वेच्छा से ठेका छोड़ने पर ठेका निरस्त होने की स्थिति में जमानत धनराशि ब्याज सहित जब्त कर ली जायेगी। दो वर्ष तक ठेका चलाने के उपरान्त यदि ठेकेदार/समिति द्वारा मत्स्य वर्ष समाप्ति की तिथि 30 जून से 06 माह पूर्व स्वेच्छा से ठेका छोड़ने हेतु नोटरी शपथ पत्र के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो ठेका निरस्त होने की स्थिति में ठेकेदार/समिति के ऊपर कोई देयता अवशेष न होने पर अधिकतम 50 प्रतिशत जमानत धनराशि अवमुक्त की जा सकेगी।

(c) बिना पूर्व सूचना व शपथ पत्र के ठेका बीच में छोड़ने पर ठेका निरस्त होने की स्थिति में ठेके के स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा श्रेणी-01 , 02, 03, 04 एवं 5 के जलाशयों की ई-निविदा/

निविदा से सम्बन्धित वार्षिक आधार पर जो सबसे अधिक मूल्य प्राप्त होगा , उसकी 25 प्रतिशत धनराशि ई-निविदा / निविदा स्वीकार करने के उपरान्त ठेकेदार/समिति को अगले 03 बैंक कार्य दिवस तक जमा करना अनिवार्य होगा , शेष 75 प्रतिशत धनराशि अनुबंध के पश्चात 31 मार्च तक समान मासिक किश्तों में मत्स्य विभाग के प्रबन्धान्तर्गत आने वाले जलाशयो हेतु बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से तथा निगम/संघ के प्रबन्धान्तर्गत आने वाले जलाशयो हेतु बैंक ड्राफ्ट/आर0टी0 जी0एस0 के माध्यम से ही जमा की जायेगी।

(d) ठेकेदार द्वारा स्वेच्छा से ठेका छोड़ने की स्थिति में उसे जनपद में किसी भी जलाशय की निविदा/ई-निविदा में प्रतिभाग करने हेतु आगामी 02 वर्ष की अवधि तक प्रतिबन्धित किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा बकाया धनराशि जमा करने के उपरान्त ही पुनः किसी जलाशय की निविदा/ई-निविदा में प्रतिभाग करने की अनुमति दी जायेगी।

(e) ठेकेदार/समिति द्वारा बिना पूर्व सूचना व शपथ पत्र के ठेका बीच में छोड़ने की प्रवृत्ति परिलक्षित होने पर पांच वर्ष हेतु काली सूची में डालने का अधिकार निदेशक मत्स्य उ0प्र0 में निहित होगा।

जलाशय के ठेके के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने की दशा में मामला मध्यस्थ को संदर्भित किया जायेगा। मध्यस्थ की नियुक्ति निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 द्वारा की जायेगी।

3(3) i. ठेकेदार/समिति द्वारा कर निबन्धन विभाग द्वारा निर्धारित देय मूल्य के स्टाम्प पेपर पर ठेका अनुबन्ध पत्र पूर्ण कराते हुए पंजीकृत कराया जायेगा। स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क सम्बन्धित ठेकेदार/समिति द्वारा देय होगा।

ii. अनुबन्ध पत्र में प्रथम वर्ष एवं शेष वर्षों की किश्त जमा करने की समय सारिणी एवं मूल्य का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जायेगा। अनुबन्ध पत्र पर समिति /ठेकेदार तथा मत्स्य विभाग /उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0/ उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 की ओर से क्रमशः जनपदीय मत्स्य अधिकारी/ अधिशाषी प्रबन्धक/ प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 द्वारा नामित अधिकारी/ कार्मिक के द्वारा हस्ताक्षरित (दिनांक सहित) किया जायेगा। अनुबन्ध की मूल प्रति मत्स्य विभाग/उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0/उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 के पास रहेगी तथा छाया प्रति समिति/ ठेकेदार अपने पास रखेंगे।

iii. ठेका स्वीकृति आदेश के अधिकतम 15 दिन के भीतर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा। ठेका अनुबन्ध हेतु किसी भी प्रकार की समय वृद्धि प्रदान नहीं की जायेगी एवं ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

4(1) i. श्रेणी-01, 02, 03, 04 एवं 5 के जलाशयों की ई-निविदा/ निविदा से सम्बन्धित वार्षिक आधार पर जो सबसे अधिक मूल्य प्राप्त होगा,उसकी 25 प्रतिशत धनराशि ई-निविदा/ निविदा स्वीकार करने के उपरान्त ठेकेदार/समिति को अगले 03 बैंक कार्य दिवस तक जमा करना अनिवार्य होगा, शेष 75 प्रतिशत धनराशि अनुबंध के पश्चात 31 मार्च तक समान मासिक किश्तों में मत्स्य विभाग के प्रबन्धान्तर्गत आने वाले जलाशयो हेतु बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से तथा निगम/संघ के प्रबन्धान्तर्गत आने वाले जलाशयो हेतु बैंक ड्राफ्ट/आर0टी0 जी0एस0 के माध्यम से ही जमा की

जायेगी।

ii. ठेके के आगामी वर्षों की 25 प्रतिशत धनराशि ठेकेदार/समिति को 16 अगस्त तक जमा करना अनिवार्य होगा, जिसके लिए समयवृद्धि नहीं दी जायेगी तथा शेष 75 प्रतिशत धनराशि 31 मार्च तक समान मासिक किश्तों में जमा करना होगा।

iii. ठेका स्वीकृत करने के उपरान्त अनुबन्ध पूर्ण होने पर एक माह तक यदि ठेकेदार /समिति द्वारा मासिक किश्तों की धनराशि जमा नहीं की जाती है तो ठेकेदार/समिति को देय किश्त की निर्धारित तिथि के पश्चात 2 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज दण्ड स्वरूप आगामी देय किश्त के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। किश्त जमा करने हेतु एक माह की समयवृद्धि सम्बन्धित उप निदेशक मत्स्य/मुख्य महाप्रबन्धक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0/प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 प्रदान कर सकेंगे ।

iv. यदि ठेकेदार/समिति द्वारा निर्धारित समय से ठेके की किश्त जमा नहीं की जाती है तो विशेष परिस्थितियों में मत्स्य आखेट ठेका स्वीकृति हेतु सक्षम स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा अवशेष धनराशि 2 प्रतिशत प्रतिमाह दण्ड ब्याज सहित जमा करने हेतु अधिकतम तीन माह की समयवृद्धि प्रदान की जा सकती है। तीन माह की सीमा तक किश्त जमा न किये जाने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

v. द्वितीय वर्ष के ठेके के मूल्य पर 10 प्रतिशत की तथा आगामी वर्षों के लिए गत वर्ष के मूल्य पर 10 प्रतिशत की वृद्धि ठेकेदार/ समिति द्वारा देय होगी ।

vi. सिंचाई विभाग के जो जलाशय मत्स्य आखेट हेतु मत्स्य विभाग/निगम/संघ के प्रबन्धान्तर्गत दिये गये है, उनसे प्राप्त राजस्व का 1/3 (एक तिहाई) भाग राजस्व की प्राप्ति के एक माह के अन्दर सिंचाई विभाग के लेखे में जमा कराना अनिवार्य होगा, परन्तु किसी अपरिहार्य परिस्थिति में इस सीमा में संशोधन सिचाई विभाग उ0 प्र0 शासन के आदेशों के पश्चात किया जाना संभव होगा।

4(2) जलाशयों को कभी-कभी किसी ठेकेदार/समिति द्वारा ठेके की शर्तों का उल्लघंन करने पर ठेके को निर्धारित अवधि से पूर्व निरस्त करना पडता है। ऐसी स्थिति में ठेके को पुनः अवशेष अवधि के लिए निस्तारण किये जाने में आ रही कठिनाईयों के निवारण के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी-

i. मत्स्याखेट ठेका 31 दिसम्बर तक निस्तारित होने पर आगामी 30 जून तक प्रथम वर्ष माना जायेगा। 31 दिसम्बर के पश्चात मत्स्याखेट ठेका निस्तारित होने पर किसी मत्स्य वर्ष में ठेके की अवशेष अवधि तथा आगामी 10 वर्षों के लिए ई-निविदा/निविदा एक साथ करायी जायेगी जो कि किसी भी दशा में 11 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी। जिस ठेकेदार/समिति के पक्ष में उच्चतम ई-निविदा/निविदा के आधार पर ठेका आगामी वर्षों के लिए दिया जायेगा उस ठेके की शेष अवधि के लिए भी ठेका को लेना बाध्यकारी होगा।

ii. यदि जलाशय का ठेका 31 अगस्त तक निस्तारित किया जाता है , तो प्रथम वर्ष में पूरे वर्ष की भांति धनराशि की गणना की जाएगी। माह अगस्त के पश्चात् ठेका निस्तारण होने पर प्रथम वर्ष के अवशेष बचे माहों में प्रथम वर्ष की किश्त की धनराशि की गणना आनुपातिक आधार पर की

जाएगी।

iii. माह जुलाई से दिसम्बर तक ठेका निस्तारित होने की स्थिति में धनराशि जमा करने की समय-सारिणी प्रस्तर- 4 (1) के अनुसार होगी।

iv. यदि जलाशय का ठेका 1 जनवरी से 31 मार्च तक निस्तारित किया जाता है तो 60 प्रतिशत धनराशि निविदा के तुरन्त बाद अथवा अधिकतम तीन बैंक कार्य दिवस तथा 40 प्रतिशत धनराशि ठेका स्वीकृत होने के एक माह अथवा 31 मार्च की तिथि तक जो भी पहले होगा जमा करनी होगी एवं किश्त की धनराशि जमा करने हेतु समयवृद्धि प्रदान नहीं की जायेगी।

v. यदि जलाशय का ठेका निस्तारण 01 अप्रैल से 30 जून तक किया जाता है तो मत्स्य वर्ष की अवशेष अवधि हेतु 100 प्रतिशत धनराशि ई-निविदा/निविदा प्रक्रिया समाप्त होने के तत्काल अथवा अगले तीन बैंक कार्य दिवस में जमा करनी होगी।

3- उल्लिखित व्यवस्था/ प्राविधान के अन्तर्गत ठेके के अनुबन्ध एव ई-निविदा/निविदा की शर्तों का निर्धारण निदेशक मत्स्य , उ0प्र0 लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

4 - शासनादेश संख्या-3563/12-मत्स्य-83 दिनांक-12.08.1983 द्वारा उ०प्र० मत्स्य विकास निगम लि० लखनऊ को हस्तांतरित जलाशयों की व्यवस्था को शासनादेश संख्या-765/57-मत्स्य-2000-5 (69)/81,दिनांक-08.03.2000 द्वारा अतिक्रमित कर दिया गया था ,किन्तु उक्त शासनादेशों में हस्तांतरित जलाशय निगम के पास बने रहने का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था |उपरोक्त के दृष्टिगत पूर्व में हस्तांतरित प्रश्नगत जलाशय (उत्तराखंड के अंतर्गत आने वाले जलाशयों को छोड़कर) निगम के पास बने रहने की पूर्ववत व्यवस्था लागू रहेगी |

5- कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
Signed by डा0 रजनीश दुबे
Date: 25-09-2023 14:42:18
Reason: Approved
(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 28 /2023/ 756 /(1)सत्रह -म-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. - महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. - समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश ।
3. - समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश ।
4. - निबन्धक,सहकारी समितियाँ उत्तर प्रदेश ।
5. - प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
6. - प्रमुख अभियन्ता,सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. - निदेशक,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. - निदेशक, सूचना विभाग उ0प्र0 ।
9. - समस्त संयुक्त विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश।

10.- समस्त मुख्य विकास अधिकारी / जिला विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश।

11.- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि० लखनऊ।

12.- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।

13.- समस्त उप निदेशक मत्स्य/ सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण उत्तर प्रदेश।

14.- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
अनुसचिव।